

लोक प्राधिकारियों की बाध्यता
के लिए एक मॉडल टेम्पलेट – सूचना पुस्तिका
(RTI अधिनियम, 2005 के अध्याय II धारा 4 (c) बी का संदर्भ लेते)
अध्याय 1
संगठन, कार्य और कर्तव्य
(धारा 4(1) (बी) (i))
संगठन, कार्य और कर्तव्य का विवरण :-

| स.क्र. | संगठन का नाम | पता | कार्य | कर्तव्य |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01 | कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल | हमीदिया अस्पताल परिसर, रॉयल मार्केट, भोपाल | गैस पीड़ित/मरीजों की चिकित्सा एवं उपचार सम्बन्धी कार्य | गैस पीड़ित /मरीजों की चिकित्सा एवं उपचार |

अध्याय 2
अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य
(धारा 4(1) (बी) (ii))
कृपया अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण दें और प्राधिकरण के कर्मचारी इस प्रकार हैं:-

| स.क्र. | कर्मचारी/कार्यालय का नाम | पदनाम | आवंटित कार्य | प्रदत्त अधिकार |
|--------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01 | डॉ. संजय जैन | संचालक | प्रथम अपीलीय अधिकारी का आवंटित कार्य | |
| 02 | डॉ. एम.एल बंजारे | अधीक्षक | लेक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवंटित कार्य | |

अध्याय 3
निर्णय लेने प्रक्रिया में प्रक्रिया का पालन किया जाता है
(धारा 4(1) (बी) (iii))
लोकप्राधिकरण (उपायुक्त अधिकारी) द्वारा निर्णय लेते में अपनाई जानेवाली प्रक्रियाका वर्णन करें।

| गतिविधि | विवरण | निर्णय लेने की प्रक्रिया | अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का पदनाम |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| संस्थागत गतिविधियाँ | चिकित्सालय में आने वाले गैस पीड़ित एवं अन्य रोगियों की जाँच एवं उपचार | सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ/लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी | संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा समय-समय पर प्रदत्त आदेशानुसार |

अध्याय 4
कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
(धारा 4(1) (बी) (iv))
कृपया अपने कार्यों/ सेवाओं के वितरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों/ मानकों का विवरण प्रदान करें।

| स.क्र. | कार्य/सेवा | मानदंड/प्रदर्शन सेट के मानक | समय सीमा | दस्तावेज विहितकरण चार्टर सेवा अध्याय |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01 | गैस पीड़ित/मरीजों की चिकित्सा एवं उपचार सम्बन्धी कार्य | स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमावली एवं नियम पुस्तिका | लोक- 30 दिवस प्रथम- 45 दिवस | सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी की निगरानी में |

अध्याय 5
कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
(धारा 4(1) (बी) (v) और (vi))
कृपया सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा नियमों, विलियमों, निर्देशों
मैनु अलों और रिकॉर्डों की सूची और विवरण प्रदान करें,
जिनका उपयोग निम्नलिखित प्रारूप में कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।

निमावली, रोस्टर , स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियम

अध्याय 6
लोक प्राधिकरण द्वारा आपने नियंत्रण में रखे एवं दस्तावेजों की श्रेणियाँ
(धारा 4(1) (बी) (vi))
सार्वजनिक प्राधिकरण या उसके नियंत्रण में रखे गए अधिकारिक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दें।

चिकित्सालय से सम्बन्धित सभी प्रकोष्ठ, अनुभाग प्रभारी, शाखा प्रमुख, लिपिक वर्ग, सहायक चिकित्सा अधीक्षक,

अध्याय 7
नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए
(धारा 4(1) (बी) (vii))

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास , भोपाल

अध्याय 8
बोर्ड, परिषद, समितिया और अन्य निकायलोक प्राधिकरण, भाग के रूप में गठित
(धारा 4(1) (बी) (viii))
निम्नलिखित प्रारूप में सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

| बोर्ड का नाम , परिषद समिति आदि। | समोजन | शक्तिया और कार्य | या यह बैठके खली जनता /मिनट इसकी बैठकों के लिए सुलभ जनता |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| गैस राहत विभाग मॉनिटरिंग कमेटी | --- | माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशों के अनुसार विभाग के कार्यो एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं न्यायालय में प्रतिवेदन भेजना | नहीं |

अध्याय 9
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(धारा 4(1) (बी) (ix))

कार्यविभिन्न स्तरों पर विभिन्न इकाइयों या कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके वर्क के बारे में जानकारी प्रदान करें

अध्याय 10
अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मासिक पारिश्रमिक, विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षति पूर्ति सहित

(धारा 4(1) (बी) (x))

निम्नलिखित प्रारूप में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक और मुआवजा संरचना के बारे में जानकारी दें ।

| कार्यरत अधिकारी का नाम | पदनाम संगठन | पारिश्रमिक प्रतिमाह |
|------------------------|-------------|---------------------|
| जानकारी निरंक | | |

अध्याय 11

प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिस में योजनाएं आदि शामिल है

(धारा 4(1) (बी) (x))

प्रत्येक प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजनाओं

कार्यक्रमों और योजनाओं के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करें।

| म.क्र. | योजना/कार्यक्रम/योजना/परियोजना/गतिविधि/के लिए प्रयोजन कर्न सा बजट आवंटित है | पिछले वर्ष की तरह व्यय का प्रस्ताव | अपेक्षित परिणाम | किए गए संवितरण या ऐसे विवरण उपलब्ध (वेबसाइट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड आदि) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| जानकारी समस्त अनुभागों/लेखा शाखा /भण्डार शाखा से सम्बन्धित है, जो माँगी जा रही है। | | | | |

अध्याय 12

सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का प्रबंध

(धारा 4(1) (बी) (xii))

- सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों/ कार्यक्रमों/ योजनाओं का वर्णन करें जिनके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी की प्रकृति, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और अधिकारी सश्रम के पदनाम की जानकारी प्रदान करें।

| कार्यक्रम/गतिविधि का नाम | प्रकृति/सब्सिडी का पैमाना | सब्सिडी देने के लिए पात्रता मानदंड | टनुदान देने वाले अधिकारी का पदनाम |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| NIL | NIL | NIL | NIL |

अध्याय- 13

रियायतें, परमिट या के प्राप्तकर्ता के विवरण

लोक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान

(धारा 4(1) (बी) (xiii))

निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के तहत लाभी प्राप्त करने वालों के नाम और पते प्रदान करें।

संस्थागत लाभार्थी

| कार्यक्रम/योजना का नाम | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| स.क्र. | प्राप्तकर्ता संस्थानों का नाम और पता | लाभ की प्रकृति/ मात्रा | अनुदान की तिथि | अधिकार देने वाले का नाम और पदनाम |
| | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |

अध्याय- 14

सूचना इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध है

(धारा 4(1) (बी) (xiv))

कृपया इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध विभाग की विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी का विवरण/ (फ्लॉपी, सीडी, वीसीडी, वेबसाइट, इंटरनेट आदि)

| इलेक्ट्रॉनिक | (विवरण) साइटयोजक/स्थान जहाँ उपलब्ध हो आदि | समग्री या शीर्षक | किसके द्वारा |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |

अध्याय- 15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(धारा 4(1) (बी) (xv))

जानकारी के प्रसार के लिए जनता के लिए उपलब्ध सूचना प्रसार तंत्र के विवरणों का वर्णन करें:-

| सुविधा | विवरण(सुविधा/नाम आदि का स्थान) | उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| निरंक | निरंक | निरंक |

अध्याय- 16

नाम,पदनाम और जनता के अन्य विवरण

सूचना अधिकारी

(धारा 4(1) (बी) (xvi))

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में सार्वजनिक सूचना अधिकारी और विभिन्न कार्यालयों/प्रशासनिक इकाईयों और सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अपीलीय प्राधिकरण/अधिकारीओं के लिए नामित सहायक जनसूचना अधिकारियों के बारे में संपर्क जानकारी प्रदान करें:-

लोक सूचना अधिकारी:

| स. क्र. | कार्यालय/प्रशासनिक इकाई का नाम | पी.आई.ओ का पदनाम | कार्यालय एवं निवास दूरभाष/फैक्स | ई-मेल |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|
| 01 | कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल | डॉ.एम.एम.बंजारे, अधीक्षक | 0755-27398603 | |

सहायक लोक सूचना अधिकारी:

| स. क्र. | कार्यालय/प्रशासनिक इकाई का नाम | ए.पी.आई.ओ का पदनाम | कार्यालय एवं निवास दूरभाष/फैक्स | ई-मेल |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| -----निरंक----- | | | | |

अपीलीय अधिकारी:

| स. क्र. | कार्यालय/प्रशासनिक इकाई का नाम | एफ.ए.ए. अपीलीय अधिकारी का पदनाम | कार्यालय एवं निवास दूरभाष/फैक्स | ई-मेल |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 01 | कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल | डॉ. संजय जैन, संचालक | 0755-2731261 | |

अध्याय- 17

अन्य उपयोगी जानकारी

(धारा 4(1) (बी) (xvii))

कृपया उन अन्य जानकारी या प्रकाशनों का विवरण नीचे दें प्रासंगिक हे या नागरिकों के उपयोग के हैं:

1. वार्षिक प्रतिवेदन (विभाग से सम्बन्धित)
2. वार्षिक स्मारिका
- 3.

अध्याय- 18

निविदाओं आदि से सम्बन्धित जानकारी

भण्डार अनुभाग से सम्बन्धित है, जो कि माँगी जा रही हैं ।

अध्याय- 19

सार्वजनिक निजी साझेदारी

कार्यालय भवन की छठवीं मंजिल पर राष्ट्रीय रोग निवारण प्रयोगशाला

अध्याय- 20

स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश

स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार

अध्याय- 21

आर.टी.आई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण

वार्षिक जानकारी संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को भेजी गई है, शेष जानकारी तैयार की जा रही है।

अध्याय- 21

आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त एवं निराकरण

वार्षिक जानकारी संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को भेजी गई है, शेष जानकारी तैयार की जा रही है।

अध्याय-22

सी.ए.जी. और पी.ए.सी. पैरा

अध्याय-23

नागरिक चार्टर / सेवा प्रदाय एक्ट

.....

.....

अध्याय-24

डिस्क्रेशनरी और नॉन-डिस्क्रेशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैस-विवेकाधीन अनुदान)

.....निरंक.....

अध्याय-25

सीएम/मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे

.....निरंक.....